

अपील सूचना का अधिकार सं० 115/2016 अनवानी श्री गौरीशंकर एडवोकेट निवासी 135
एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी, एसडीएम (पुनर्वास)
श्रीगंगानगर



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
115/2016
A3

24.10.2016

अपीलार्थी श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, एसडीएम (पुनर्वास) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि-उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, एसडीएम (पुनर्वास) श्रीगंगानगर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, एसडीएम (पुनर्वास) श्रीगंगानगर द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह अपील आपके समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अब वह इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है और नॉट प्रैस करता है। यदि इस अपील को इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी अपनी अपील पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और नॉट प्रैस करता है। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी, एसडीएम (पुनर्वास) श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

25-76
7-11-16